offered by the Central Government to the Doctors, including promotional avenues, allowances and perks, national removal of ban on the ceiling on pay plus NPA with effect from December 31, 1985;

(c) whether the Association had observed a protest day on August 12, 1988 in support of their demands;

(d) whether the Punjab Government had accepted in principle the demand to merge NPA in the basic pay; and

(e) if so, what are the details in this regard and what action Government propose to take to meet the demands of the Doctors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश के लिये समिति

4023. **श्री अजीत जोगी :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० आई०टी० संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश की संख्या में सुधार लाने के लिये एक दल का गठन किया गया था, जिसमें एक संसद सदस्य व अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस दल के अधिकारियों ने संसद सदस्य की सहमति लिये बिना अपनी अनुशंसाओं को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ग) ये अनुशंसायें क्या हैं और उनसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ;

(घ) क्या मंत्रालय ने अधिकारियों के खिलाफ सांसद की सहमति के बिना बैठकें करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय के अधिकारी समिति की बैठकें करने हेतु मानदण्डों का पालन नही करते ; और

(च) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) से (ग) जी, नहीं । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के दाखिले में सुधार करने के उपाय सुझाने के लिये एक संसद सदस्य, चार गैर-सरकारी तथा एक सरकारी अधिकारी वाला एक दल गठित किया गया था । दल की बैठक आयोजित करने के लिये सभी सदस्यों को नोटिस दिया गया था । पृष्ठभूमि नोट परिचालित करने के बावजूद भी माननीय संसद सदस्य से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । सभी अन्य सदस्यों द्वारा सहमति प्राप्त हो जाने पर बैठक निर्धारित समय पर आयोजित की गयी, जिसमें माननीय संसद सदस्य को छोड़कर सभी सदस्यों ने भाग लिया । इस बैठक में की गयी चर्चाओं के आधार पर एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई तथा उसे माननीय संसद सदस्य सहित सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणियों तथा सुझावों के लिये भेजी गयी थी । सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(घ) से (च) बैठक नियमों के अनुसार निर्धारित की गयी । इसलिये (घ) और (च) का प्रश्न नहीं उठता ।